राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कमल सिंह बनाम ओमप्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/2016		
05/02/2016	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ओमप्रकाश व ईश्वर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनबॉस अलवर के समक्ष साबिक आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम छतरपुर तहसील किशनगढ़ बॉस के सन्दर्भ में दिनांक 06/01/2007 को स्थाई आवंटन नियम 1963 में संशोधन राजस्व नियम ऐ के तहत भूमि के आवटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी | जिस पर आवंटन कमेटी द्वारा आदेश दिनांक 08/02/2007 पारित करते हुए आराजी खसरा नम्बर 03 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा तथा आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा का बैचान गैर खातेदार कमल सिंह पुत्र कुन्दन जाट निवासी बोरा द्वारा क्रेता बनवारी, हरी सिंह पिता ताराचन्द सा. बॉस कृपाल नगर को जरिये रजिस्टर्ड बैचनामा दिनांक 30/04/1969 को कर दिया जाना धारित करते हुए एवं मुताबिक मिलान क्षेत्रफल एवं पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो. संख्या 1 लगा. 09 के हक़ में आवटन कर दिया गया एवं जिसके प्रकाश में दिनांक 28/03/2007 को सनद पट्टा भी जारी कर दिया गया | जिसके विरुद्ध यह अपील न्यायालय भू-प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है एवं न्यायालय भू-प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 24/02/2016 पर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरित की गयी | जिस पर रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 03 व 04 स्थित ग्राम छतरपुर तहसील किशनगढ़ बॉस पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से कमल सिंह पुत्र कुन्दन जाट जो अपीलार्थी है के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रही आराजी थी एवं तत्पश्चात उक्त आराजी को रेस्पो. द्वारा बयनामा दिनांक 30/04/1969 के आधार पर आवंटित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा की गयी रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी का दिनांक 08/02/2007 को आवंटन रेस्पो. के हक़ में करते हुये दिनांक 28/03/2007 को सनद पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कमल सिंह बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विधि के प्रावधानों के अनुसरण में किसी भी गैर खातेदारी की भूमि का बयनामा निष्पादित ही नही किया जा सकता एवं इस हेतु किसी भी गैर खातेदार को कोई क़ानूनी अधिकार नही रहते है | ऐसी स्थिति में गैर खातेदारी की आराजी को गैर खातेदार द्वारा बैचान किये जाने के उपरान्त क्रेतागण के हक़ में बैचान पत्र के आधार पर पुन: आवंटन किया जाना विधिसम्मत एवं क़ानूनी प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत नही होता है | बल्कि ऐसे अविधिक कार्यवाही के सन्दर्भ में विधिअनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी, ऐसेमें दिनांक 08/02/2007 को प्रश्नगत भूमि का किया गया आवंटन एवं उसके परिपेक्ष्य में जारी किया गया सनद पट्टा क्रमांक 1046-48 दिनांक 28/03/2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ बॉस को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विचाराधीन प्रकरण में विधिसम्मत कार्यवाही करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 05/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर